Hitnarayan Bareth vs the State Summary

याचिककर्ता का नाम - श्री हितनारायण बरेठ, डायलिसिस टेकनीशियन, स्वशासी समिति से भुगतान प्राप्त कर्मचारी।
Court Case No. - WPS 3050 of 2026.

श्री हितनारायण बरेठ ने अपने सेवा को 10 वर्ष से अधिक बताते हुए हाई कोर्ट मे अपने सेवा के नियमितीकरण हेतु याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने अपने निर्णय मे शब्दशः निम्न निर्णय दिया -

Taking into consideration that the petitioner is working as daily wage employee and as of now, he has completed more than 10 years continuous service; considering the above decisions of Hon'ble Supreme Court, this writ petition, at this stage, is disposed of permitting petitioner to submit **fresh comprehensive representation** **before the respondent authorities** for redressal of his grievance as raised in this writ petition. If such a representation is submitted by petitioner the respondent authorities shall consider and decide the same keeping in mind the period of service which the petitioner has completed of more than 10 years as also the decisions of **Hon'ble Supreme Court on the issue of regularization** of daily wage/temporary employees, in accordance with law expeditiously, preferably within a further period of 04 months from the date of receipt of representation.

इसमे यह लिखा गया है कि यदि श्री हितनारायण बरेठ पुनः आवेदन करे (f**resh comprehensive representation)** तो कर्मचारिओ के नियमितीकरण के संबंध मे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों (**Hon'ble Supreme Court on the issue of regularization**) का पालन करते हुए 4 माह के भीतर इस संबंध मे उचित कार्यवाही की जाए।

पूर्व मे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 05 मार्च 2008 को दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के लिए निर्देश जारी किया गया था जिसमे स्पष्ट दर्शाया गया है की **** नियमितीकरण की प्रक्रिया केवल एक बार के लिए होगी ****

साथ ही उक्त निर्देश मे एक बिन्दु यह भी था की ** **केवल उन्ही पदों का नियमितीकरण किया जाएगा जो पद स्वीकृत हो।** ** किन्तु श्री हितनारायण बरेठ Dialysis Technician पद पर कार्य कर रहे है और यह पद अस्पताल के सेटअप मे नहीं है।

वर्तमान मे नियमितीकरण हेतु स्पष्ट निर्देश न होने के कारण इस केस की पूरी डिटेल्स के साथ आयुक्त को इस संबंध मे उचित मार्गदर्शन हेतु पत्र लिखा गया है।

आयुक्त द्वारा मार्गदर्शन हेतु पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह case under compliance hai.